लोकसभा चुनाव-2024 की सभी तैयारियां पूर्ण, मतदान दलों की रवानगी आज

■ लोकसभा चुनाव 2024 के तहत जिले में धारा 144 लागू

झालावाड़ (निसं)। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 26 अप्रेल को होने वाले मतदान को पूर्ण स्वतंत्रता, निष्पक्षता एवं भयमुक्त वातावरण में सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजय सिंह राठौड ने बताया कि 25 अप्रेल को प्रातः 7 बजे से विधानसभा क्षेत्र मनोहरथाना एवं डग के मतदान दलों को तृतीय प्रशिक्षण के उपरान्त राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया जाएगा। तत्पश्चात् प्रातः 11 बजे से विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन एवं खानपुर के मतदान दलों को तृतीय प्रशिक्षण देकर मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदान दलों की सुविधा के लिए तृतीय प्रशिक्षण के दौरान उनके यथास्थान पर ही ईवीएम व अन्य आवश्यक मतदान से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उन्हें पंक्तियों में नहीं लगना पड़े। इसके अतिरिक्त मतदान दलों के कार्मिकों के लिए पर्याप्त चिकित्सा एवं भोजन की व्यवस्था भी की गई है।

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं आदर्श मतदान केन्द्रः- जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 1151 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। जिनमें से चारों विधानसभा क्षेत्र में 32 मतदान केन्द्र महिलाओं द्वारा एवं 32 मतदान केन्द्र युवाओं द्वारा तथा 4 मतदान केन्द्र दिव्यांगजनों द्वारा संचालित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक आदर्श मतदान केन्द्र भी बनाए गए हैं।

एरिया व सेक्टर मजिस्ट्रेट रखेंगे निगरानीः- जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने हेतु 130 माइक्रो ऑब्जर्वर, 119 सेक्टर मजिस्ट्रेट व 4 एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त झालावाड़ जिले से लगे मध्यप्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के निर्वाचन अधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय स्थापित कर विशेष प्रबंध किए गए हैं।

संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों पर रहेगी विशेष नजर, सुरक्षा की रहेगी पूरी व्यवस्था

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले के चिन्हित 577 संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा की दृष्टि से सीएपीएफ की टीम के साथ-साथ पर्याप्त पुलिस जाप्ते की व्यवस्था भी की गई है।

मतदान दलों के परिवहन के लिए रहेगी वाहनों की पर्याप्त व्यवस्था

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान दलों को परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए बसों, मिनी बसों एवं अन्य वाहनों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

लोकसभा चुनाव 2024 के तहत जिले में धारा 144 लागूः- लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर द्वितीय चरण के अन्तर्गत 26 अप्रेल को मतदान सम्पन्न होना है। मतदान के अंतिम 48 घंटे में कानून व्यवस्था तथा अनुकूल वातावरण के निर्माण के दृष्टिकोण से तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष व भय मुक्त मतदान सम्पन्न कराने हेतु पूर्व में जारी आदेश की निरन्तरता में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट अजय सिंह राठौड़ द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी निर्देशों के क्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घंटे की अवधि में चुनाव प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। इस 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा विधि विरूद्ध जमाव या जन सभा करने अथवा उसमें भाग लेना पूर्णतयाः प्रतिबंधित रहेगा।

साथ ही 24 अप्रेल 2024 (बुधवार) सायं 6.00 बजे से 26 अप्रेल 2024 (शुक्रवार) सायं 6.00 बजे तक (मतदान समाप्ति तक) की अवधि के दौरान सभाओं और सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध रहेगा। दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने एवं एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नही है तथापि घर-घर जाकर प्रचार अभियान के संबंध में 48 घंटों के दौरान द्वार से द्वार भ्रमण प्रतिबंधित नही होगा।

मतदान केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में किसी भी अभ्यर्थी व राजनैतिक दल की ओर से मतदान सहायता केन्द्र स्थापित नही किया जा सकेगा। मतदान दिवस को कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि के अंदर मोबाईल फोन, सेल फोन, वायरलेस का उपयोग नही करेगा, न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नही होगा।

यह आदेश 24 अप्रेल 2024 (बुधवार) सायं 6.00 बजे से 26 अप्रेल 2024 (शुक्रवार) सायं 6.00 बजे तक प्रभावी रहेगा। उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर संबंधित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में बैठे युवक के सिर में कुल्हाड़ी से वार किया

■ गंभीर हालत में कोटा रैफर ,घटना का वीडियो वायरल

बून्दी (निसं)। बूंदी जिले के कापरेन थाना क्षेत्र के कोडक्या गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। जहां हनुमान जयंती के सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने जागरण में बैठे एक व्यक्ति पर पीछे से आकर कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर दिया। जिसके बाद खून से लथपथ युवक वहीं गिर गया। घटना के बाद जागरण में अफरा-तफरी मच गई। घायल व्यक्ति को तुरंत कोटा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला मंगलवार रात 11:15 बजे का है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

घायल युवक के छोटे भाई रणजीत ने बताया कि करीब एक साल पहले तेजमल की पत्नी का ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया था। वह ट्रैक्टर भाई बनवारी का था। ऐसे में तेजमल बनवारी से रंजिश रखता था। उसका कहना था कि एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया है। इसी के चलते कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया।

रणजीत मीणा पुत्र सुलतान मीणा निवासी कोडक्या ने गांव के ही तेजमल गुर्जर निवासी कोडक्या के खिलाफ कापरेन थाने में मामला दर्ज कराया है। रणजीत मीणा ने बताया- उसका बड़ा भाई बनवारी मीणा हनुमान जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कीर्तन सुनने गया था। इतने में गांव के तेजमल ने पीछे से आकर उसके सिर में कुल्हाड़ी दे मारी। इसके बाद तेजमल वहां से अंधेरे का फायदा उठा कर फरार हो गया। गंभीर घायल बनवारी को कोटा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

कापरेन थानाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि घायल बनवारी के छोटे भाई रंजीत की रिपोर्ट पर आरोपी तेजमल पुत्र सांवला जाति गुर्जर निवासी कोडक्याके खिलाफ जानलेवा हमला व एससी एसटी एक्ट में दर्ज किया है। मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक केशोरायपाटन को सौंप गई है।आरोपी की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। आरोपी की तलाश जारी है।

नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

■ आरोपी को 1.60 लाख जुर्माना लगाया

बूंदी (निसं)। जिले के दबलाना थाना क्षेत्र में नाबालिक पीड़िता के साथ करीब 8 माह पुर्व हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को पोस्को कोर्ट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने बताया कि17 अगस्त 2023 को पीड़िता ने थाना दबलाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की। जिसमें बताया कि अभियुक्त ने फोन करके पीडिता और आरोपी के मोबाइल से अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए कहा कि तू घर के बाहर आकर के हमसे मिल।

इससे पीड़िता डर गई और जैसे ही वह घर के बाहर आई तो किशोर नाबालिक तथा अभियुक्त शैतान सिंह दोनों ने जबरदस्ती उसे बाइक पर बिठाया और तालाब की तरफ ले जाकर के उसके साथ जोर जबरदस्ती की तथा उसके कपउत्रे फाड़ दिए और उसके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद उसको कुएं में गिराने लगे, तभी पीडिता के पास उसके भाई का फोन आ गया तो वह वहां से भाग गए।

उक्त रिपोर्ट पर थाना दबलाना ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के बाद पोस्को कोर्ट क्रम संख्या 2 में चालान पेश किया। उक्त प्रकरण में बुधवार को पोस्को न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्रा ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त शैतान सिह उर्फ बिट्टू सिह पुत्र रामसिंह उर्फ बबलू सिह निवासी सोरण थाना दबलाना को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 160000 अर्थ दंड से दंडित किया। पोस्को कोर्ट ने इस मामले में एसएफएसएल, जयपुर के निदेशक एफएसएल/डीएनए रिपोर्ट तैयार करने में लापरवाही बरतने में वाले कर्मचारी, अधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही कर नतीजे से इस न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने उक्त प्रकरण में पैरवी करते हुए 13 गवाह एवं 35 दस्तावेज प्रदर्शित किए।

शिविर में 36 यूनिट रक्त संग्रहित

बूंदी (निसं)। बुधवार को देवपुरा स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बूंदी, देवली, हिंडोली के महिला व पुरुषों में बढ़ चढ़कर 36 यूनिट रक्तदान किया। महेश चांदवानी ने बताया हर वर्ष मानवता के मसीहा बाबा गुरबचन सिंह की पावन स्मृति 24 अप्रैल का दिन संपूर्ण निरंकारी जगत द्वारा देश मे रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। यह दिनयुग प्रवर्तकबाबा गुरबचन सिंह के परोपकारी जीवन एवं उनकी लोक कल्याण की भावना को समर्पित है। इस वर्ष चिकित्सालय में रक्त की कमी के चलते एक माह पहले रक्तदान शिविर लगाया गया जिसमें 89 यूनिट रक्तदान संपन्न हुआ।

युगदृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा सन् 1986 से आरम्भ हुई परोपकार की यह मुहिम, महाअभियान के रूप में आज अपने चरमोत्कर्ष पर है। इन शिविरों में अभी तक 13, 31, 906 यूनिटरक्त मानव मात्र की भलाई हेतु दिया जा चुका है।

नवपद जी की ओली का पारणा धूमधाम से संपन्न

बून्दी (निसं)। श्री जैन श्वेतांबर मूर्तिपूजक खरतरगच्छ समिति बूंदी के तत्वाधान में 9 दिन तक चलने वाली चैत्र मास की नवपद ओली की तपस्या 15 अप्रैल को शुरू होकर 24 अप्रैल को पारणे के साथ सम्पन्न हुई। साल में दो बार होने वाली इस तप आराधना में राजकुमारी, विद्या, अशोक, अमिता, प्रमोद भंडारी, सीमा गगरानी, नम्रता, विनीता,अलका ,शुचिता, छाजेड़, नवरत्न, मीनाक्षी कोठारी, बिंदु, अनुपमा भड़कतिया, शान्ता बीलिया ने तपस्यार्थी के रूप में भाग लिया। एक अन्न ही प्रयोग करता हैं तपस्यार्थी समाज के पारस चौरडिया ने बताया कि इस ओली में तपस्यार्थी धर्म आराधना एवं मन्दिर जी की क्रिया करते हुए 9 दिन तक बिना नमक, शक्कर, घी ,तेल, दूध अर्थात स्वाद रहित भोजन ग्रहण करते हैं उसमें भी प्रतिदिन सिर्फ एक अन्न ही प्रयोग लिया जाता है, जैसे चावल ,गेहूं ,चने, उड़द, मूंग, जो, ज्वार आदि। इस तप के आराधना का संपूर्ण लाभ स्वर्गीय प्रदीप भंडारी स्मृति सेवा संस्थान ने लिया।

'वोट देबा चांला आपणे गांव' कार्यक्रम में प्रवासी मतदाताओं का सम्मान किया

■ ड्रोन से हुई पुष्पवर्षा, मतदान का न्यौता दिया

छबड़ा (निसं)। विधानसभा क्षेत्र के लो वोटर टर्न आउट का मुख्य कारण पड़ौसी राज्य में मजदूरी, रोजगार के कारण मतदान दिवस को अनुपस्थित रहना है। ऐसे मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में प्रोत्साहित करने एवं मतदान दिवस पर मतदान करने के लिए अपने गांव, बूथ वापसी के उद्देश्य से बुधवार को 'वोट देबा चांला आपणे गावं' समारोह का आयोजन एसडीएम रामसिंह गुर्जर की अध्यक्षता और विकास अधिकारी हेमश्री प्रद्युम्न के मुख्य आतिथ्य में गुगोर पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय गुगोर में सम्पन्न हुआ।

स्वीप सदस्य शंकरलाल नागर के अनुसार कार्मिकों के आगमन के साथ 10 बजे मध्यप्रदेश-राजस्थान की सीमा पर स्थित पार्वती नदी के तट एवं पुल पर समस्त अतिथियों के साथ प्रवासी मतदाताओं के आगमन के साथ विकास अधिकारी प्रद्युम्न ने महिला मतदाताओं का व एसडीएम गुर्जर ने पुरुष मतदाताओं का माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार किया। ड्रोन से अतिथियों पर पुष्प वर्षा की गई।

डीजे की धुन ओर वोट गीतों के संगीत के साथ हैला-टोली और वोट योद्धाओं ने पुष्प वर्षा कर नदी की पुलिया से स्कूल गेट तक मतदाता जागरूकता रैली के माध्यम से प्रवासी मतदाताओं को जुलुस के रूप में लाया गया। यहां स्कूल के दरवाजे पर शहना वादन कर प्रवासी मतदाताओं का स्वागत किया गया। तत्पष्चात् स्कूल प्रांगण में संगीत मंडली द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पेष किए गए।

वहीं, स्वीप मंडली द्वारा मतदाता जागरूकता नाटक, स्कूली बालिकाओ के नृत्य भी आयोजित किए गए। बाद में एसडीएम गुर्जर ने मतदाताओ को मतदान की शपथ दिला । विकास अधिकारी प्रद्युम्न ने प्रवासी मतदाताओ को 26 अप्रैल को मतदान के लिए पीले चांवल देकर आमंत्रण दिया। इस अवसर पर डीएसपी जेपी अटल, तहसीलदार अभिशेक पारीक, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. महेश भूटानी, सीबी ओ ओमप्रकाश गालव, एबीडीओ राजेंद्र प्रसाद मीणा, हरिबल्लभ कुमावत, अमरद्दीन खान, ओमप्रकाश राजीविका, भरत खंगार सहायक अभियंता, प्रोग्रामर महेंद्र नागर, पी ओ अरविंद गालव सहित ब्लॉक स्तरीय विभागों के अधिकारी और कार्मिक के साथ बीएलओ, राजीविका के सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व हैला-टोली, वार रूम सदस्य रेखा यादव, शबाना कुरैसी, मुकलेश मीणा सहित ग्रामीण, मतदाता, स्कूल के बालक-बालिका आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता अशोक भार्गव द्वारा किया। ईओ सुरेष रैगर ने सभी का आभार व्यक्त किया।

वाहनों से फ्लैग मार्च निकाला

छबड़ा (निसं)। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से सम्पन्न करवाए जाने को लेकर पुलिस व केंद्रीय रिजर्व बलो के जवानों द्वारा वाहनो से फ्लैग मार्च निकाला।

थानाधिकारी राजेश खटाना ने बताया कि यह फ्लैग मार्च धरनावदा चौराहे से शुरू होकर क़स्बे के मुख्य मार्गो से होता हुआ थाना पहुंच कर सम्पन्न हुआ। फ्लैग मार्च में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ कोठारी व डीएसपी जय प्रकाश अटल सहित 200 जवान शामिल रहे।

मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से मतदान केंद्रों पर कई गतिविधियां आयोजित होंगी

■ प्रतिष्ठान संचालकों ने उपहार व छूट की घोषणा की

छबड़ा (निसं)। लोकसभा चुनाव के तहत विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित कर मतदान प्रतिशत बढाने के उद्देश्य से मतदान केंद्रों पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएगी। जिसकी तैयारी प्रषासन द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

एसडीएम रामसिंह गुर्जर ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए पेयजल, छाया, बैठने की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। मतदाताओं की सहायता के लिए वोटर हेल्प डेस्क का गठन किया गया है, जो मतदाताओं को जानकारी प्रदान करेंगे। विशेष योग्यजन एवं वरिष्ठ मतदाताओं की सहायता के लिए वॉलियन्टियर नियुक्त कर दिए हैं।

साथ ही प्रत्येक मतदान केंद्र पर व्हील चेयर भी उपलब्ध रहेगी। सुबह 7 से 9 बजे तक मतदान करने वाले मतदाताओं से वृक्षारोपरण करवाकर तथा कम मतदान प्रतिशत (60 प्रतिषत से कम) वाले मतदान केंद्रों पर पहले 25 नव मतदाताओं एवं अन्य सभी मतदान केंद्रो पर पहले 20 नव मतदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। मतदान केंद्रों पर स्थापित किए सेल्फी पॉइंट पर क्यूआर कोड स्केन कर लिंक पर सेल्फी अपलोड करने पर डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। संयुक्त परिवार की तीन पीढ़ी (दादा, दादी, बेटा, बेटी, पोता, पोती) द्वारा मतदान कर सेल्फी अपलोड किए जाने पर सम्मान किया जाएगा। कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केंद्रो पर प्रथम 40 मतदाताओं को मतदान करने व आदर्श मतदान केंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय गुगोर (150) पर सभी मतदाताओं को लड्डू वितरित किए जाएंगे।

इस चुनाव में 80 प्रतिशत से अधिक मतदान होने वाले मतदान केंद्रो के बीएलओं को जिला निर्वाचन अधिकारी तथा ऐसे मतदान केंद्र जिन पर पिछले चुनाव में 60 प्रतिशत से कम मतदान हुआ था, उन मतदान केंद्रो पर 15 प्रतिशत बढ़ने पर बीएलओं एवं किसी भी मतदान केंद्र पर पिछले चुनावों की तुलना में 5 प्रतिशत मतदान बढाने पर संबधित मतदान केंद्र के बीएलओं को सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रषंसा पत्र दिया जाएगा।

मतदान दिवस पर बंद रहेगे प्रतिष्ठान, उपहार की घोषणाः- चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने एवं मतदान प्रतिशत बढाने के उद्देश्य से एसडीएम गुर्जर द्वारा मंगलवार को व्यापारिक प्रतिष्ठानों के अध्यक्षो के साथ बैठक आयोजित की गई। जिसमें मतदान दिवस पर ग्रेन मर्चेंट एसोसिएषन अध्यक्ष ने मण्डी बंद रखने तथा किराना व्यापार व सर्राफा व्यापार संघ आदि ने भी दोपहर 12 बजे तक अपने-अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया।

वही, ताराचंद राजमल सर्राफ प्रतिश्ठान द्वारा मतदान करने के बाद ऊंगली पर स्याही का निशान दिखाने वाले पहले 10 मतदाताओं के लिए उपहार देने तथा अरिहंत मेडिकल स्टोर (जैन धर्मशाला) द्वारा ऊंगली पर स्याही का निशान दिखाने वाले मतदाताओं को 5 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की। वही, अरिहंत ट्रेडर्स, बल्लभ किराना स्टोर, नाज किराना स्टोर, नूर किराना स्टोर, ओमप्रकाश अशोक कुमार साहू, अंकुर किराना स्टोर, लुहाडिया किराना स्टोर, श्रीरिद्धी सिद्धी स्टोर, शुभम कुमार राज कुमार साहू, रमेश नागर किराना, शर्मा किराना स्टोर आदि प्रतिश्ठानो ने ऊंगली पर स्याही का निशान दिखाने पर मतदाताओं को एक प्रतिशत छूट देने की घोषणा की।

मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश देय होगा

झालावाड़, (निसं)। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान 26 अप्रेल, 2024 को मतदान दिवस पर निजी व सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार व व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारियों को संवैतनिक अवकाश देय होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के प्रावधान अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है।

मतदान के दिन उनका अवकाश मंजूर किया जायेगा। उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने पर किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या कोई कमी नहीं की जायेगी। यदि कोई नियोजक उपबंधों का उल्लघंन करेगा तो ऐसे नियोजक पर 500 रूपये तक का जुर्माना दण्डनीय होगा।

उन्होंने बताया कि इन प्रावधानों के अनुसार समस्त निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार व व्यवसाय में कार्यरत कामगारों के साथ ही ऐसे कार्मिक जो राजस्थान राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं, किन्तु उन निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर कार्यरत है, उन्हें उनके क्षेत्र में मतदान दिवस 26 अप्रेल, 2024 को मतदान हेतु संवैतनिक अवकाश के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हैं ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

मतदान एवं मतगणना दिवस पर सूखा दिवस रहेगाः- लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जिले में द्वितीय चरण के मतदान के तहत 24 अप्रेल, 2024 सायं 6 बजे से 26 अप्रेल को सायं 6 बजे मतदान समाप्ति तक मतदान क्षेत्रों के बाहर के सीमावर्ती 3 किलोमीटर परिधि क्षेत्रों में सूखा दिवस रहेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलेक्टर) अजय सिंह राठौड ने बताया कि पुर्नमतदान की स्थिति में पुर्नमतदान की घोषणा से पुर्नमतदान की तिथि को पुर्नमतदान की समाप्ति तक संबंधित मतदान केन्द्रों के क्षेत्रों में भी सूखा दिवस रहेगा। वहीं मतगणना दिवस 4 जून, 2024 को भी सूखा दिवस रहेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने समीक्षा बैठक ली

बूंदी (निसं)। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर चुनाव की तैयारियों के संबंध में विभिन्न प्रकोष्ठ प्रभारियों एवं सहायक प्रभारियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट कक्ष में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। इसमें अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न प्रकोष्ठ प्रभारियों एवं सह प्रभारियों को लोकसभा चुनाव से संबंधित कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने समस्त प्रकोष्ठों के तहत किए जा रहे कार्यों तथा तैयारियों की समीक्षा की।

उन्होंने मतदान दलों की रवानगी के लिए वाहन व्यवस्था की जानकारी लेते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए की संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार वाहन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने मतदान दलों की रवानगी के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बूंदी में पार्किंग व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण व्यवस्था, पानी आदि के समुचित प्रबंध करने के निर्देश संबंधित प्रकोष्ठ प्रभारी को दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रकोष्ठ प्रभारी मतदान दल रवानगी स्थल पर अपने-अपने प्रकोष्ठों से संबंधित तैयारियों को जांच लें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि चुनाव में नियुक्त मतदान से शेष रहें कार्मिकों के डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करवाया जावे। उन्होंने मतदान दल रवानगी के दिन मतदान दलों को दिए जाने वाली चुनाव सामग्री के बैग के वितरण की तैयारी सुनिश्चित कर ली जावे।

उन्होंने कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केन्द्रों पर अधिक से अधिक मतदान करवाने के लिए कार्ययोजना बनाकर तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को दिए। मतदान केंद्रों पर दिव्यांग ,बुजुर्ग मतदाताओं के सहयोग के लिए स्काउट, एनसीसी,गाइड के साथ बेहतर क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।

बैठक में उपजिला निर्वाचन अधिकारी घनश्याम शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दुर्गाशंकर मीणा, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, हिंडोली उपखंड अधिकारी विनोद मीणा, बूंदी उपखंड अधिकारी दीपक मित्तल, केशवरायपाटन उपखंड अधिकारी दीपक महावर ,एसीबीईओ ऋषिराज शर्मा, सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे।